# आवश्यक/समयबद्ध

संख्या: 26/2018/1847/12-2-2018-91/2013

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
(जनपद सहारनपुर, मुजफरनगर, शामली, बागपत, हापुड, मुरादाबाद, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, रायबरेली एवं बाराबंकी को छोडकर)
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2018

विषय: खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर वितरित संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के लंबित भुगतान के सम्बन्ध में बैठक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 1261/12-2-2017-91/2013 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर वितरित संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के लंबित भुगतान के सम्बन्ध में समस्त जनपदों में कृषकों को वितरित किए गए संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के भुगतान के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद वांछित आख्या/संस्तुति उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जो उचित नहीं है। अत: कृपया खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर वितरित संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के लंबित भुगतान किए जाने के दृष्टिगत वांछित आख्या/संस्तुति कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

( अमित मोहन प्रसाद )
प्रमुख सचिव।

संख्या: 26/2018/1847(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित प्रश्नगत भुगतान के सम्बन्ध में शेष जनपदों के संबंधित जनपदों के जिला कृषि अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जांच आख्या ए उपलब्ध करायें तथा प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण कर भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या/संस्तुति शासन को निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

( उमा कान्त पाठक )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।